

कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2021 -22/ 1963

दिनांक : 25.3.2022

निमित्त,

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

विषय :- Permission for laying underground OFC in Forest area along PWD road from Vijaipur - Rooppura from Lat/Long 24.791558/ 75.718341 to 24.765172/ 75.740787 for total length of 4.063 KM and total area 0.1828 ha roads in Chittorgarh District, Rajasthan. (FP/RJ/OFC/144983/2021)

प्रसंग :- JIO Digital Life Private Limited का पत्र क्रमांक No/NLD/OFC/DCF/Vijaipur-Rooppura/ Dated 4.10.2021.

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक एफ 5 ()मुवसं/वसु/2021-22/1138 दिनांक 17.2.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भिक पत्र से लगाए गए आक्षेपो की पूर्ति की जाकर निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र.सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	प्रकरण के पार्ट-गा के बिन्दु संख्या-5 Working plan prescription for the forest land proposed for diversion में यह पता नहीं चल पा रहा है कि डायवर्जन की जाने वाली भूमि किस वर्किंग सर्किल में आती है। स्पष्ट उल्लेख करें।	डायवर्जन की जाने वाली भूमि इस वन मण्डल के अधिनस्थ रेंज रावतभाटा के वनखण्ड मोहनामातासरा में है, उक्त वनखण्ड को वर्किंग प्लान के अनुसार Wildlife conservation, soil conservation and plantation वर्किंग सर्किल में समिलित किया जाना से एक से अधिक वर्किंग सर्किल दर्शाए गए है।
2	पार्ट-गा में Additional information detail का प्रस्ताव के साथ संलग्न एवं ऑनलाईन अपलोड किया गया। Total CA Scheme के Proposal संख्या गलत है। सही प्रस्ताव संख्या लिखे एवं ऑनलाईन/ऑफलाईन कॉपी मे संशोधन करे।	Total CA Scheme के Proposal संख्या सहवन से गलत अंकित हो गए थे जिन्हे सही अंकित कर दिया गया है।

3	पार्ट-1A के बिन्दु संख्या 13 (i) में सी.ए. स्कीम की डिटेल एवं KML अपलोड करें।	सी.ए. स्कीम की डिटेल एवं KML अपलोड कर दी गई है।
4	प्रकरण के पार्ट-1A के बिन्दु संख्या-13 (ii) में CA Scheme uploaded की जानी थी जो कि नहीं की गई है। संबंधित सी. ए. स्कीम अपलोड करें।	CA Scheme uploaded कर दी गई है।
5	प्रकरण के पार्ट-1A के बिन्दु संख्या-13(v) में NOC की Copy upload करनी थी जबकि आप द्वारा टोपो शीट मैप अपलोड किया गया है। संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।	NOC की Copy upload कर दी गई है।
6	पार्ट-1A में Additional information detail के क्रम सं. 5 पर क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट अपलोड की गई, इसे हटाकर वांछित दस्तावेज अपलोड करें।	क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट को डिलीट कर दिया गया है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 3 सैट

भवदीय

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2021 -22/

1964-65

दिनांक : 25.3.2022

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान - जयपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।
2. JIO Digital Life Private Limited , Kota (Raj.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़